

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ-4-43 / सात-1 / 2013

12 FEB 2015

रायपुर, दिनांक जनवरी 2015

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- नजूल भूमि का नवीनीकरण तथा पट्टा आबंटन प्रक्रिया का सरलीकरण ।

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 6-286/सात/ नजूल/93, भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 1994 तथा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-4-52/ सात-2/2008, रायपुर, दिनांक 15/12/2008 के माध्यम से नजूल भूमि के स्थाई पट्टों के नवीनीकरण के अधिकार संभागीय मुख्यालय के नगरों में संभागीय आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से जिला कलेक्टर को तथा अन्य नगरों में जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है, इसके बाद भी यह देखा जा रहा है, कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नजूल पट्टों के नवीनीकरण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रही है। इससे जहां एक ओर नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि का अभिलेख अद्यतन नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर नजूल पट्टा नवीनीकरण आदि से प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक के रूप में शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व की हानि हो रही है। अतः राज्य शासन द्वारा नजूल भूमि के स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा पट्टा आबंटन के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों की निरंतरता में निम्नानुसार निर्णय लिया है:-

(1) नजूल भूमि के स्थाई पट्टों का नवीनीकरण:-

1.1. ऐसे मामले, जिसमें पट्टा अवधि समाप्त हो गई हो तथा पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग किया जा रहा हो:-

नजूल पट्टा नवीनीकरण के ऐसे मामले, जिसमें पट्टा की अवधि समाप्त हो गई हो, पट्टेदार के द्वारा पट्टा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा पट्टेदार के द्वारा भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, जिस प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का स्थाई पट्टा प्रदाय किया गया हो, वहाँ स्थाई पट्टा का नवीनीकरण पिछले निर्धारित भू-भाटक का 6 गुणा अथवा प्रचलित प्रमाणिक दर, इनमें से जो भी अधिक हो, दर पर पट्टा अवधि समाप्त होने

की तिथि से आगामी 30 वर्षों के लिए स्थाई पट्टा नवीनीकरण किया जावेगा। ऐसे मामलों में यदि पट्टे की अवधि पिछले वर्षों में समाप्त हो गई हो, तो नवीनीकरण की तिथि से चालू वर्ष तक वार्षिक भू-भाटक पर 6.50 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जावेगा।

1.2. ऐसे मामले, जिसमें पट्टा अवधि समाप्त हो गई हो तथा पट्टेदार द्वारा स्थाई पट्टे पर प्राप्त भूमि का उपयोग पट्टे में निर्धारित प्रयोजन से परिवर्तित कर लिया गया हो:-

1.2.1. ~~पट्टे~~ यदि स्थाई पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो, पट्टेदार के द्वारा पट्टा नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, स्थल जांच में पट्टेदार द्वारा भूमि का उपयोग, जिस प्रयोजन के लिए भूमि स्थाई पट्टे पर प्रदान की गई हो, उस प्रयोजन के लिए न किया जाकर, बिना अनुमति प्राप्त किये उससे भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, तो ऐसे मामलों का निराकरण विकास योजना को ध्यान में रखकर किया जावेगा। इस हेतु विकास योजना का परीक्षण किया जावेगा। यदि विकास योजना में उक्त भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए निर्धारित है, जिस प्रयोजन के लिए पट्टेदार के द्वारा वास्तव में भूमि उपयोग किया जा रहा है, तो बिना अनुमति भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए निम्नानुसार अर्थदण्ड वसूल किया जावेगा:-

1. 50 वर्गफीट तक	-	10.00 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से
2. 100 वर्गफीट तक	-	20.00 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से
3. 100 वर्गफीट से अधिक	-	30.00 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से

उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे स्थाई पट्टों को परिवर्तित प्रयोजन के लिए पट्टा अवधि समाप्त होने की आगामी तिथि से 30 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जावेगा। ऐसे मामलों में पट्टेदार द्वारा जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग किया जा रहा है, उस प्रयोजन के लिए प्रचलित प्रमाणित दर पर वार्षिक भू-भाटक निर्धारित किया जावेगा। यदि पट्टे की अवधि पिछले वर्षों में समाप्त हो गई हो, तो नवीनीकरण की तिथि से चालू वर्ष तक वार्षिक भू-भाटक पर 6.50 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जावेगा।

1.2.2. यदि विकास योजना में उक्त भूमि का भूमि उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न निर्धारित है, जिस प्रयोजन के लिए पट्टेदार द्वारा भूमि उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे स्थाई पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा। ऐसे मामलों में पट्टेदार द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को उक्त आधार पर निरस्त कर दिया जावेगा तथा पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के आधार पर मैट्रिनेंस खसरे में शासन का नाम दर्ज कर शासन के पक्ष में भूमि का कब्जा प्राप्त किया जावेगा।

1.2.3. यदि पट्टेदार द्वारा स्थाई पट्टे पर प्राप्त भूमि के उपयोग का आंशिक परिवर्तन किया गया हो, अर्थात् कुछ भाग का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई है तथा कुछ भाग का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तित कर लिया गया हो एवं ऐसा परिवर्तन विकास योजना के अनुरूप न हो, तो जिस भाग का उपयोग निर्धारित

निराकरण प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, उसका नवीनीकरण उपर बिन्दु क्रमांक 1 के निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा तथा परिवर्तित भाग का निराकरण उपर बिन्दु क्रमांक 2.2 के निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।

1.3. ऐसे मामले, जिसमें पट्टेदार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से अधिक नजूल भूमि पर कब्जा कर लिया गया हो:-

1.3.1. यदि पट्टेदार के द्वारा स्थाई पट्टे पर दी गई भूमि के अतिरिक्त, मूल पट्टे की भूमि से लगी हुई आसपास की अन्य नजूल भूमि पर कब्जा किया गया हो, तथा उक्त भूमि ऐसी जगह स्थित हो, जो कि अन्य व्यक्ति के लिए उपयोगी न रह गया हो, तो पट्टेदार द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में ऐसे अतिरिक्त कब्जे की भूमि को बिना नीलामी पट्टेदार को पृथक से स्थाई पट्टे पर दिया जावेगा। ऐसी अतिरिक्त नजूल भूमि के लिए प्रचलित दर पर प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक की गणना की जावेगी तथा कब्जे की तिथि से चालू वर्ष तक वार्षिक भू-भाटक पर 6.50 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज भी लिया जावेगा। ऐसे अतिरिक्त भूमि का पट्टा देते समय इस बात का परीक्षण किया जावेगा, कि पट्टेदार द्वारा किया जा रहा भूमि उपयोग विकास योजना के अनुरूप है, या नहीं। यदि भूमि उपयोग विकास अनुरूप होना पाया जाता है, तभी पट्टा स्वीकृत किया जावेगा, अन्यथा नहीं। उपरोक्तानुसार स्थाई पट्टा जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

1.3.2. यदि पट्टेदार के द्वारा आसपास की अतिरिक्त नजूल भूमि पर कब्जा किया गया हो तथा ऐसे अतिकमित भूमि का भूमि उपयोग विकास योजना के अनुरूप नहीं हो, तो ऐसे अतिरिक्त कब्जे की भूमि का पट्टा प्रदाय नहीं किया जावेगा तथा कब्जेदार को अतिरिक्त कब्जे की भूमि से बेदखल किया जावेगा।

1.3.3. पट्टेदार के द्वारा मूल पट्टे की भूमि के अतिरिक्त किये गये कब्जे की भूमि का क्षेत्रफल तथा उसकी स्थिति ऐसी हो, कि उसे नीलामी के द्वारा या बिना नीलामी अन्य व्यक्ति को आबंटित किया जा सकता हो, तो ऐसे अतिरिक्त कब्जे की भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया जावेगा।

1.4. ऐसे मामले, जिसमें पट्टेदार द्वारा स्थाई पट्टे पर दी गई सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को विक्रय कर दिया गया हो तथा क्रेता के द्वारा पट्टा नवीनीकरण की मांग किया जा रहा हो :-

स्थाई नजूल पट्टा अनुबंध फार्म "उ" में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कि पट्टेदार बिना अनुमति या अनुमति प्राप्त कर स्थाई पट्टे पर प्राप्त भूमि को विक्रय कर सके। इसके बाद भी नगरीय क्षेत्रों में ऐसे कई मामले देखने में आते हैं, कि नजूल भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति को विक्रय कर दिया गया है तथा क्रेता के द्वारा स्थाई पट्टा नवीनीकरण की मांग की जाती है। कई मामले ऐसे भी हैं, जिसमें कई कई बार पंजीकृत विक्रय किया गया है तथा भूमि पर मूल पट्टेदार का नाम दर्ज है। नजूल भूमि का स्थाई पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए प्रदाय किया जाता है। पट्टेदार

द्वारा पट्टे पर प्राप्त ऐसी नजूल भूमि पर स्थाई संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। ऐसी स्थाई संरचनायें बेची जा सकती हैं, तथापि चूंकि भूमि पट्टे पर प्राप्त भूमि है, अतः उसका मूल स्वामित्व शासन का होता है। अतः पट्टे पर प्राप्त नजूल भूमि तथा उस पर प्राप्त संरचनाओं के विक्रय के मामलों में नजूल पट्टे का नवीनीकरण केता के पक्ष में किया जावेगा। नवीनीकरण के पूर्व नियमानुसार पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण किया जावेगा, तत्पश्चात नवीनीकरण की कार्यवाही की जावेगी। नवीनीकरण की कार्यवाही के दौरान यदि भूमि उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, तो नवीनीकरण उपर बिन्दु क्रमांक 1 के निर्देशानुसार किया जावेगा। यदि भूमि उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, तो नवीनीकरण करने या न करने की कार्यवाही उपर बिन्दु क्रमांक 2 के निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

1.5. ऐसे मामले, जिसमें पट्टेदार की मृत्यु हो गई हो, तथा वारिसानों के द्वारा पट्टा नवीनीकरण की मांग किया जा रहा हो :-

जिन मामलों में मूल पट्टेदार की मृत्यु हो गई हो तथा उनके वारिसानों के द्वारा पट्टा नवीनीकरण की मांग की जा रही हो, उसमें सर्वप्रथम मैटिनेंस खसरे में वारिसानों का नाम प्रश्नाधीन नजूल भूमि पर नामान्तरण की कार्यवाही की जावेगी। शासन के द्वारा नजूल भूमि पर नामान्तरण के अधिकार संहिता की धारा 110 के तहत नजूल अधिकारी को प्रदत्त किया गया है। अतः फौती नामान्तरण की कार्यवाही नजूल अधिकारी/नजूल तहसीलदार के द्वारा किया जावेगा, तत्पश्चात यथास्थिति उपर बिन्दु क्रमांक 1 या 2 के प्रावधानों के अनुसार पट्टा नवीनीकरण की कार्यवाही की जावेगी। ऐसे मामलों में यदि पट्टा की अवधि समाप्त हो गई हो तथा पट्टेदार या उसके वारिसानों के द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग किया जा रहा हो, तो पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद भी फौती नामान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।

1.6. ऐसे मामले, जिसमें पट्टा अवधि समाप्त हो गई हो, लेकिन पट्टेदार के द्वारा नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो:-

ऐसे मामले, जिसमें पट्टा अवधि समाप्त हो गई हो, लेकिन पट्टेदार या उसके वारिसानों के द्वारा पट्टा नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो, उन मामलों में राजस्व निरीक्षण नजूल के द्वारा मैटिनेंस खसरे में दर्ज प्रवृष्टि के आधार पर पट्टेदारवार पट्टा अवधि समाप्त होने की तिथि की जानकारी के साथ नजूल अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, तत्पश्चात नजूल अधिकारी के द्वारा पट्टेदार या उनके विधिक वारिसों को नोटिस जारी कर पट्टा नवीनीकरण के संबंध में जवाब प्राप्त किया जावेगा। यदि पट्टेदार या उसके विधिक वारिसों के द्वारा पट्टा नवीनीकरण की मांग की जाती है, तो उनके मांग के आधार पर यथास्थिति उपर बिन्दु क्रमांक 1 या 2 के प्रावधानों के अनुसार पट्टा नवीनीकरण की कार्यवाही की जावेगी। यदि पट्टेदार को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद भी उसके द्वारा पट्टा नवीनीकरण में रुचि नहीं ली जाती है, तो भूमि शासकीय दर्ज की जा सकेगी।

1.7. ऐसे मामले, जिनमें पट्टा अवधि अभी समाप्त नहीं हुई हो, उनके भूमि उपयोग तथा कब्जे का सत्यापन:-

पर चूज़ वर्तमान में पूर्ण दरों पर या रियायती दरों पर नजूल भूमि का आबंटन शासन के द्वारा किया जाता है। राज्य में विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं को विभिन्न प्रयोजनों के लिए नजूल भूमि स्थाई पट्टों पर प्रदाय किये गये हैं। इनमें से कई पट्टों पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 की कण्डिका 26 के प्रावधानों के तहत प्रीमियम एवं प्रव्याजि में रियायत भी दी गई है। अतः नजूल भूमि के शत-प्रतिशत स्थाई पट्टों का भौतिक सत्यापन किया जावेगा तथा पट्टेदार के वास्तविक कब्जे एवं भूमि उपयोग की जानकारी प्राप्त की जावेगी। यदि भौतिक सत्यापन में वास्तविक कब्जा पट्टेदार से भिन्न व्यक्ति का होना पाया जाता है या भूमि उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए न किया जाकर अन्य प्रयोजन के लिए किया जाना पाया जाता है, तो पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी। पट्टा निरस्तीकरण के पूर्व पट्टेदार या कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका दिया जावेगा।

(2) नजूल भूमि का पट्टा आबंटन प्रक्रिया का सरलीकरण

2.1. नगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों की नजूल भूमि का पट्टा आबंटन:-

नगरीय क्षेत्रों में शामिल ग्रामों की शासकीय भूमि अथवा आबादी की भूमि नजूल भूमि मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में गांव की बसाहट के लिए शासकीय आबादी भूमि आरक्षित की जाती है, जिसमें ग्रामवासी मकान बना कर निवास करते हैं। आबादी भूमि पर ऐसे पुराने कब्जे का कोई पट्टा नहीं दिया गया है। यद्यपि ग्रामीण आवास योजना के तहत आबादी घोषित कर ग्राम पंचायतों के माध्यम से पट्टा वितरण करने का प्रावधान है, लेकिन आबादी भूमि पर पुराने कब्जेदारों के पास ऐसा कोई पट्टा होने की संभावना नहीं है। नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के कारण जब ऐसे ग्राम नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिये जाते हैं, तब ऐसी आबादी की भूमि नजूल भूमि मान्य की जाती है, जबकि ऐसी नजूल भूमि पर कब्जेदारों के पास अपने हक के प्रमाण में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होता है। ऐसे मामलों में वार्ड पार्शदों के सत्यापन तथा वास्तविक कब्जे के आधार पर आवासीय अथवा गैर आवासीय प्रयोजन के लिए 30 वर्षीय स्थाई पट्टा प्रदाय किया जावेगा। इसके लिए भूमिस्वामियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जावेगा, केवल वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण मानक दर पर चालू वर्ष से किया जावेगा। ऐसे मामलों में स्थाई पट्टा स्वीकृति के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाता है। यदि किसी मामले में भूधारक के द्वारा भूमिस्वामी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे भूधारक से न तो कोई प्रीमियम लिया जावेगा, और न ही भूमि पर वार्षिक भू-भाटक निर्धारित किया जावेगा। ऐसी भूमि संबंधित भूमिस्वामी के द्वारा भूमिस्वामी हक पर ही धारित रहेगी।

2.2. गृह निर्माण सहकारी समीतियों को अग्रिम अधिपत्य में दिये गये नजूल भूमि का पट्टा आबंटन:-

प्रदेश में पूर्व में गृह निर्माण सहकारी समीतियों को अपने सदस्यों के आवास गृह निर्माण के लिए नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का अग्रिम अधिपत्य प्रदान किया गया है, लेकिन अग्रिम अधिपत्य देने के बाद उक्त समीतियों को भूमि आबंटन अभी तक नहीं किया जा सका है। इसी बीच गृह निर्माण समीतियों के द्वारा कालोनी निर्माण कर अपने सदस्यों को भूखण्ड का आबंटन कर दिया गया है तथा सदस्यों के द्वारा गृह निर्माण भी कर लिया गया है, लेकिन भूमि आबंटन न होने के कारण अभिलेखों में उक्त भूमि पर अभी भी शासन का नाम दर्ज चला आ रहा है। भूखण्ड आबंटन का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्तमान में ऐसी समीतियां निष्क्रिय हो गई हैं या भंग हो गई हैं। ऐसे मामलों में अब गृह निर्माण सहकारी समीतियों को भूमि आबंटन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः स्थाई पट्टे पर भूखण्ड का आबंटन भूखण्ड के वास्तविक धारक अर्थात् आबंटिती को किया जावेगा। इस हेतु यदि गृह निर्माण सहकारी समीति को अग्रिम अधिपत्य देने की जानकारी प्राप्त होती हो, तो प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक की गणना तत्कालीन दरों पर की जावेगी तथा उक्त परिगणित राशि पर 6.50 प्रतिशत की दर पर अभी तक साधारण व्याज की गणना कर पट्टेदार से प्रीमियम, वार्षिक भू-भाटक तथा व्याज की राशि जमा कराई जावेगी। यदि गृह निर्माण समीति को अग्रिम अधिपत्य देने की जानकारी प्राप्त न हो, तो प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक की गणना आज की दर पर की जावेगी, जिसमें व्याज नहीं लिया जावेगा।

2.3. बिना नीलामी नजूल भूमि का पट्टा आबंटन:-

उपर कण्डिका 2.1 में दर्शित स्वरूप के मामलों को छोड़कर शेष नजूल भूमि पर बिना नीलामी स्थाई पट्टा स्वीकृत करने का अधिकार राज्य शासन को होगा। इस हेतु जिला कलेक्टर के द्वारा जांच उपरांत प्रस्ताव संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन को भेजा जावेगा।

(3) स्थाई पट्टे पर नजूल भूमि का आबंटन तथा अधिकारों का प्रत्यायोजन:-

3.1. नजूल भूमि आबंटन के अधिकार का प्रत्यायोजन:-

1. दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के पुराने कब्जे के आधार पर नजूल भूमि को स्थाई पट्टे पर आबंटन का कार्य जिला कलेक्टरों के द्वारा किया जावेगा।
2. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रयोजन तथा समाचार पत्र के लिए पूर्ण दरों पर या रियायती दरों पर नजूल भूमि या नजूल बाह्य भूमि का स्थाई पट्टा आबंटन का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जावेगा।
3. बिना नीलामी निजी व्यक्ति को नजूल भूमि का स्थाई पट्टे पर भूमि आबंटन का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जावेगा।

4. कलेक्टर अथवा शासन के द्वारा नजूल भूमि का पूर्व स्वीकृत स्थाई पट्टों पर पट्टा शर्त का उलंघन किये जाने के मामलों में स्थाई पट्टा को निरस्त करने तथा पुनः प्रवेश कर कब्जा प्राप्त करने का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा ।

3.2. नजूल पट्टे का नवीनीकरण के अधिकारः-

1. संभागीय मुख्यालय के नगरों तथा अन्य सभी नगरों में पूर्व में दिये गये नजूल भूमि के स्थाई पट्टों के नवीनीकरण का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा ।
2. पट्टा शर्त के उलंघन के मामलों में विकास योजना के अनुरूप भूमि उपयोग किये जाने पर अर्थदण्ड के साथ पट्टा नवीनीकरण का कार्य जिला कलेक्टरों के द्वारा किया जावेगा ।

4/ कृपया उक्त निर्देशों का पालन कर आगामी 3 माह के भीतर नजूल पट्टों के नवीनीकरण के समर्त लंबित मामलों का निराकरण करने की व्यवस्था करें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदशानुसार

(के.आर.पिस्टा) 11/2/2015
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग